दिल्ली, एन.सी.आर. व सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकप्रिय मासिक

उद्योग विहार

निष्पक्ष मासिक समाचार पत्र

Regd. No.-UPHIN/2004/15489 www.uvindianews.com प्रधान सम्पादक: सत्येन्द्र सिंह

वर्ष : 17 | अंक : 8 | गाजियाबाद, अगस्त, 2021 | मूल्य : 4 रूपया | पृष्ठ : 04 | E-mail : udyogviharnp@gmail.com

हरिद्वार से इस बार कांवड़ में नहीं पिट्ठू बैंग में रखकर लाया जा रहा गंगाजल

कोरोना गाइड लाइन लागू रहने और उत्तराखंड एवं यूपी में कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध होने के कारण इस बार हाईवे पर भगवान शिव का जयकारा बोल बम, बम बम इस बार नही सुनाई दे रहा है। कांवड़ यात्री भी नही दिखाई दे रहे हैं इसके बावजूद बड़े पैमाने पर हरिद्वार से गंगाजल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया जा रहा है। कई मंदिर सीधे वाहनों को भेजकर बड़ी बड़ी केन में गंगाजल भरकर मंगा रहे हैं तो बड़ी संख्या में प्रत्येक वर्ष कांवड़ लाने वाले श्रद्धालु इस बार कांवड़ियों के रूप में नही बल्कि तीर्थयात्री बनकर गंगास्नान को जा रहे हैं और साथ में कमर पर पिट्ठू बैग में गंगाजल की केन भी रखकर ला रहे हैं। कोरोना गाइड लाइन की वजह से भले ही कांवड यात्रा लगातार दूसरे वर्ष स्थगित हो गई हो लेकिन शिवभक्तों के उत्साह में कोई कमी नही है।

कोरोना लाइव

31,812,114	30,974,748	426,321	201,065,144
मामले (भारत)	मरीज ठीक हुए	कुल मौतें	मामले (दुनिया)

गाजियाबाद के मोरटा में देवी मंदिर तालाब की दुर्दशा के लिए नगर निगम जिम्मेदार

❑ अर्थला स्थित इंद्रा प्रियदर्शनी पार्क जीडीए द्वारा तालाब पर अवैध कब्जा करके बनाया गया है। ❑ जीडीए और नगर निगम ने खुद कई तालाबों पर कब्जा करके पाठशाला और पार्क बना दिए हैं।

-उद्योग विहार (अगस्त 2021)-

गाजियाबाद। किसी जमाने में तालाब गाँव या शहर की पहचान होते थे। 1950 में भारत में कुल सिंचित क्षेत्र की 17 प्रतिशत सिंचाई तालाबों से की जाती थी। ये तालाब सिंचाई के साथ-साथ भूगर्भ जल स्तर को भी बनाये रखते थे। पुराने समय में ये जोहड़ भूजल स्तर बनाये रखने और गांवों के पशुओं की प्यास बुझाने के साथ-साथ पानी की जरुरत को पूरा करते थे। लेकिन अब तालाबों का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। अब इस देश की परम्परा और संस्कृति का हिस्सा माने जाने वाले तालाबों पर भूमाफियाओं का कब्जा हो चुका है। गाँवों में तालाबों पर कब्जा हो चुका है या उनका दायरा घट गया है। तालाबों पर भूमाफियाओं के साथ-साथ सरकार ने भी अवैध कब्जे करके पाठशाला या धर्मशाला तथा पार्कों का निर्माण कर दिया है। इस बात की पुष्टि सत्येन्द्र सिंह पर्यावरणविद द्वारा 2017 में प्राप्त आर टी आई से की जा सकती है। गाजियाबाद में अर्थला स्थित इंद्रा प्रियदर्शनी पार्क जीडीए द्वारा तालाब पर ही बनाया गया है। अर्थला के गाटा संख्या 1063 का क्षेत्रफल 3.832 हेक्टेयर है, जो राजस्व दस्तावेजों में तालाब के रूप में दर्ज है। हमारे पूर्वज जानते थे की तालाबों से जंगल व जमीन का पोषण होता है। भूमि के कटाव व नदियों में मिट्टी के जमाव में तालाब मददगार होते हैं। इन तालाबों से अकाल के समय भी पानी मिल जाता था। वर्तमान में हम इसलिए जल संकट से जूझ रहे हैं क्योंकि हम हमारी समृद्ध पारम्परिक जल संरक्षण तकनीकों से कट गए हैं। इन प्राचीन तकनीकों का प्रयोग कर हम 70 प्रतिशत भाग को जल संकट से बचा सकते हैं। एनजीटी में दाखिल याचिका पर अफसर कुण्डली मार कर बैठ गए हैं और आदेशों की खुलेआम धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। सरकारी विभागों

❑ अधिकारी माफियाओं के साथ मिलकर तालाबों पर कब्जे करवा रहे हैं। ❑ मोरटा में देवी मंदिर तालाब में गन्दगी की सफाई के नाम पर लाखों के वारे न्यारे हो चुके हैं। लेकिन गन्दगी जस की तस है।

के कागजातों में कई तालाब जिन्दा हैं जबकि हकीकत में उन पर अवैध कब्जे हैं।

क्या कहता है कानून ?

सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित भूमि पर किया गया निर्माण या कब्जा पूरी तरह गैर कानूनी है। "जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम -1950" की धारा -132 के अनुसार, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आरक्षित भूमि का किसी को आवंटन नहीं किया जा सकता। इसी के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी की अगर किसी प्रकरण में प्रकृति बदलकर या अन्य कारण से आवंटन कर भी दिया गया हो तो इसे स्वतः ही खारिज समझा जाये। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद मुख्य सचिव ने भी तालाबों, पशुचरान, ग्राम सभा, या निकायों की सार्वजानिक प्रयोजन के लिए आरक्षित भूमि को मुक्त कराने और उन्हें मूल प्रकृति में दर्ज करने के आदेश दिए थे। लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। गाजियाबाद के मोरटा में देवी मंदिर तालाब की दुर्दशा के बारे में सभी अधिकारियों को मालूम है लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। यहाँ पर कई मवेशी तालाब में डूब कर अपनी जान गँवा चुके हैं।

पिछले साल एक घोडा तालाब में डूब गया और उसकी लाश भी नहीं मिली। तालाब की गन्दगी से यहाँ पर लोगों का जीना दूभर हो गया है। यहाँ पर इतनी बदबू रहती है की साँस भी लेना मुश्किल हो गया है। तालाब का पानी ओवरफ्लो होकर घरों में जा रहा है। और ये गन्दा पानी यहाँ पर खेतों में घुस कर कई खेतों को खराब कर चुका है। उत्थान समिति के मनु त्यागी ने बताया तो यहाँ पर बरसात में बहुत बीमारी फैलने वाली है। कोरोना काल में इतनी गन्दगी के बावजूद प्रशासन के व नगर निगम के कानों पर जूँ तक नहीं रेंग रही है। नगर आयुक्त महेन्द्र

तालाबों पर भूमाफियाओं के साथ-साथ सरकार ने भी अवैध कब्जे करके पाठशाला या धर्मशाला तथा पार्कों का निर्माण कर दिया है। इस बात की पुष्टि सत्येन्द्र सिंह पर्यावरणविद द्वारा 2017 में प्राप्त आर टी आई से की जा सकती है। गाजियाबाद में अर्थला स्थित इंद्रा प्रियदर्शनी पार्क जीडीए द्वारा तालाब पर ही बनाया गया है। अर्थला के गाटा संख्या 1063 का क्षेत्रफल 3.832 हेक्टेयर है, जो राजस्व दस्तावेजों में तालाब के रूप में दर्ज है। एन जी टी में दाखिल याचिका पर अफसर कुण्डली मार कर बैठ गए हैं और आदेशों की खुलेआम धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। सरकारी विभागों के कागजातों में कई तालाब जिन्दा हैं जबकि हकीकत में उन पर अवैध कब्जे हैं।

सिंह तवंर यहाँ पर दो बार आ चुके हैं लेकिन सिवाय टालमटोली के कुछ नहीं किया गया है। पूरे गाँव का कचरा तालाब के किनारे डाला जाता है और उसके निबटान के लिए कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। गाँव में कोई नाला ऐसा नहीं है जिसके पानी की निकासी की पर्याप्त व्यवस्था हो। सभी नाले सिर्फ दिखावे के लिए हैं उनको मेन नाले में नहीं मिलाया गया है। नालों में गन्दा पानी बैक मारकर घरों में घुस रहा है। जिसमे मच्छर और कीटाणु पनप रहे हैं।कई बार नगर निगम में शिकायत की गयी लेकिन आजतक कोई कार्यवाही नहीं की गई। नगर आयुक्त पर यहाँ के निवासी कई संगीन आरोप लगा रहे हैं। यदि तुरंत इस मामले में संज्ञान लेकर कार्यवाही नहीं की गयी तो यहाँ के नागरिकों का गुस्सा कभी भी फट सकता है।

15 अगस्त से ग्राम पंचायतों में लागू होगा सिटिजन चार्टर, मिलेगी यह सुविधाएं

-उद्योग विहार (अगस्त 2021)-

मेरठ। मेरी पंचायत मेरा अधिकार जन सेवाएं हमारे द्वार अभियान के तहत स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त के दिन जिले की सभी ग्राम पंचायतों में सिटीजन चार्टर लागू हो जाएगा। इससे आमजन को कई जरूरी सेवाओं के लिए दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। संबंधित सेवा के लिए समय निर्धारित हो जाएगा। विभिन्न सेवाओं और शिकायतों के निस्तारण के लिए अब ग्राम पंचायतों में सिटिजन चार्टर लागू होगा। मुख्य सचिव ने प्रत्येक पंचायत में अलग-अलग नागरिक चार्टर तैयार करने का निर्देश दिया है। चार्टर में केवल उन्हीं सेवाओं को शामिल किया जाएगा, जो पंचायत द्वारा नियमित आधार पर जनसामान्य को प्रदान की जा रही हैं। शासन ने इसके लिए समय सारिणी तय कर दी है।

यह होगी सुविधा

नई व्यवस्था से ग्राम पंचायतों से सुविधाएं मिलना आसान हो जाएगा। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल, आय, जाति, निवास प्रमाण की रिपोर्ट व अन्य प्रमाण पत्र बनाने के लिए समय सीमा तय हो जाएगी। परेशान करने वाले संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। रेनू श्रीवास्तव, जिला पंचायत राज अधिकारी ने बताया कि शासन के निर्देश पर ग्राम पंचायतों में सिटिजन चार्टर तैयार किया जा रहा है जोकि स्वतंत्रता दिवस पर लागू किया जाएगा। पंचायतों में सिटिजन चार्टर के अनुसार ही काम होगा। इससे नागरिकों को मिलने वाली सभी सुविधाएं शामिल होंगी।

राशन वितरण केंद्रों पर उचित पुलिस व्यवस्था रखी जाए : अमित पाठक

-उद्योग विहार (अगस्त 2021)-

गाजियाबाद। पुलिस कप्तान कानून व्यवस्था बनाए रखने व पुलिसिंग सुधारने की दिशा में हर संभव प्रयास कर रहे है। इसी को लेकर वह लगातार अधीनस्थों के साथ बैठक कर उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दे रहे है। साथ साफ कर रहे है कि उन्हें कार्य में लापरवाही व भ्रष्टाचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। उप-महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित पाठक द्वारा कैम्प कार्यालय पर राजपत्रित अधिकारियों के साथ मीटिग की गई, जिसमे भारत सरकार द्वारा 05 अगस्त को प्रस्तावित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत निःशुल्क राशन वितरण कार्यक्रम के दृष्टिगत जनपद में राशन वितरण केंद्रों पर उचित पुलिस व्यवस्था के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। इस दौरान एसएसपी ने थाने पर आने वाली शिकायतो का नियमानुसार पंजीकृत कर गुणवत्तापूर्वक निस्तारण करने, महिला शिकायत रजिस्टर को अध्यवाधिक रखने, जनता व जनप्रतिनिधियो के साथ उचित व्यवहार बनाये रखने, लम्बित विवेचनाओ के गुण-दोषो के आधार पर निस्तारण करने, धोखाधडी करने वाले व भू-माफिया के विरुद्व अभियान चलाकर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित भी किया। गोष्ठी/मीटिग के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने अपने क्षेत्रान्तर्गत व्यापारी बंधुओ के साथ बैठक आयोजित कर उनकी समस्याओ का प्राथिमकता के आधार पर निस्तारण करने हेतु भी सम्बन्धित को निर्देशित किया।

उद्योग विहार

निष्पक्ष पाक्षिक समाचार पत्र

श्रम–जगत

02 P.

E-mail : udyogviharnp@gmail.com

गाजियाबाद, अगस्त, 2021

MINIMUM WAGES IN DIFFERENT STATES

	U.P MINUMUM WAGES GENERAL /ENGINEERING			DELHI MINIMUM WAGES	RAJASTHAN MINIMUM WAGES	GUJRAT MINIMUM WAGES		PUNJAB MINIMUMWAGES	HARYANA MINIMUMWAGES	UTTARAKHAND MINIMUM WAGES	
	U.P. GENERAL	U.P. ENGG. BELOW 500	U.P. ENGG. ABOVE 500	MINIMUM WAGES	MINIMUM WAGES	MINIMUM WAGES		MINIMUMWAGES	MINIMUMWAGES	MINIMUMWAGES	
	W.E.F.	W.E.F.	W.E.F.	W.E.F.	W.E.F.	W.E.F.		W.E.F.	W.E.F.	W.E.F.- 01/04/2021	
	01/04/2021 TO 30/09/2021	01/02/21 TO 31/07/2021	01/02/21 TO 31/07/2021	10/1/2020	8/1/2020	01/04/2021 TO 30/09/2021		3/1/2020	7/1/2020	For Adult Workers In Towns Of More Than One Lakh Population	For Remaining Parts of The State
CATEGORY OF WORKERS	BASIC +DA	BASIC +DA	BASIC +DA	BASIC+DA	BASIC+DA	ZONE-I BASIC+DA	ZONE-II	BASIC+DA	BASIC+DA	BASIC+DA	BASIC+DA
UN SKILLED	9073.02	10609.94	11123.32	15492.00	5850.00	9053.20	8845.20	9178.56	9458.20	9131.00	9013.00
SEMISKILLED	9980.32	11650.97	12235.65	17069.00	6162.00	9261.20	9053.20	9958.56	*	9724.00	9588.00
SEMISKILLED-A	*	*	*	*	*	*	*	*	9931.08	*	*
SEMISKILLED-B	*	*	*	*	*	*	*	*	10427.62	*	*
SKILLED	11179.54	12934.43	13347.99	18797.00	6474.00	9495.20	9261.20	10855.56	*	10318.00	10170.00
Clerical And Supervisory Staff NON MATRICULATE / CLERICAL-1	*	*	*	17069.00	*	*	*	*	10949.01	11320.00	11128.00
Clerical And Supervisory Staff Matriculates But Not graduates / CLERICAL-2	*	*	*	18797.00	*	*	*	*	11496.47	10572.00	10411.00
Clerical And Supervisory Staff Graduates And Above	*	*	*	20430.00	*	*	*	*	*	*	*
HIGHLY SKILLED	*	*	*	*	7774.00	*	*	11887.56	12071.29	*	*

एक जाति विशेष के डर से पलायन कर रहे हैं हिंदू

–उद्योग विहार (अगस्त 2021)–

गाजियाबाद। राजनगर स्थित संजय नगर सैक्टर 23 के लोगों ने कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए मुस्लिम समुदाय की बढ़ती जनसंख्या को लेकर रोष प्रकट किया। उन्होंने एक ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय में दिया। महेश आहूजा ने बताया कि संजय नगर जिसे सेक्टर 23 के नाम से भी जाना जाता है। वह बहुत मुश्किल के दौर से गुजर रहा है। जैसे–जैसे यहां मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या बढ़ रही है वहीं हिंदू समाज के लिए समस्याएं बढ़ती जा रही है। मस्जिद के आसपास का पूरा क्षेत्र जहां कभी हिंदुओं के घर हुआ करते थे अब वहां हिंदू नाम मात्र के रह गए हैं। यह हिंदुओं के लिए अत्यधिक चिंता का विषय है। हिंदू सेक्टर 23 से पलायन करते जा रहे हैं। मस्जिद में लाउड स्पीकर द्वारा लगाई जा रही अजान इतनी तीव्र होती है जो राजनगर व आसपास के एरिया में सुनी जाती है। यह अजान कुछ कुछ घंटों बाद लगाई जाती है। जिससे आसपास के हिंदुओं के घरों में ना बच्चे पढ़ाई कर पा रहे हैं ना ठीक से सो पा रहे हैं। बीमार व्यक्ति भी ठीक से सो नहीं पाते, हार्ट पेशेंट वालो के लिए समस्याएं और भी गंभीर बन जाती है। ध्वनि प्रदूषण के लिए सरकार द्वारा बनाए गए नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पुलिस प्रशासन का इनमें कोई डर नहीं है। मस्जिद के आसपास अतिक्रमण की समस्या बढ़ती चली जा रही है। इन लोगों ने यहां पर जनरेटर आदि सड़कों पर रख दिए हैं। जिससे आवागमन का मार्ग खत्म हो रहा है। नगर निगम की टीम जब यहां इन्हें हटाने पहुंचती है तो उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया जाता है। यह लोग तादात में इकट्ठा होकर सरकारी कर्मचारियों को भगा देते हैं। शुक्रवार के दिन नमाज के समय यहां आस–पास भारी भीड़ इकट्ठा होती है। ऐसे में हिंदू महिलाओं का यहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। मुस्लिम लड़के यहां से निकल रही हिंदू लड़कियों व महिलाओं पर अश्लील फब्तियां कसते हैं। लव जिहाद जैसी समस्याएं 23 सेक्टर में बढ़ने लगी है। मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को फंसाने का कार्यकर रहे हैं, यदि उनका विरोध किया जाए तो भीड़ इकट्ठा करके उल्टा उसी के घर पहुंच कर उसे धमकाने का कार्य करते हैं। ऐसे में जिन घरों में बेटियां हैं उनके माता–पिता डर की वजह से यहां से स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। आसपास के स्कूलों के बाहर पार्क में मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों पर घात लगाए बैठे रहते हैं। पुलिस द्वारा इन पर कई बार कार्यवाही की जा चुकी है, किंतु इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेक्टर 23 राज नगर से लगा हुआ ग्राम सदरपुर जहां रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमानों की झुग्गियां बसी हुई है। इनके खिलाफ कार्यवाही करने की मांग समस्त निवासियों ने की है।

भगवान ही जाने हम टीकाकरण का लक्ष्य दिसंबर 2021 तक पूरा करेंगे या नहीं : हाईकोर्ट

–उद्योग विहार (अगस्त 2021)–

नई दिल्ली। कोरोना संक्रमण के तीसर लहर के संभावना के बीच बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने देशभर में टीकाकरण की रफ्तार धीमा होने पर चिंता जाहिर की। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि भगवान ही जाने, हम 31 दिसंबर, 2021 तक टीकाकरण के लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे या नहीं। जस्टिस विपीन सांघी और जसमीत सिंह की पीठ ने यह टिप्पणी संभावित कोराना संक्रमण के तीसरी लहर के मद्देनजर आक्सीजन, दवाइयों, बेड व अन्य जरूरतों की तैयारियों की समीक्षा से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान की।

पीठ ने कहा कि मंगलवार को हमने अखबारों में पढ़ा कि टीकाकरण के लक्ष्य को पाने के लिए देश में रोजाना 90 लाख लोगों को टीका लगाने की जरूरत है। पीठ ने केंद्र से कहा कि आप लक्ष्य को कैसे पूरा करेंगे। पीठ ने कहा कि जब हमारे पास उस तरह का संशाधन या वैक्सीन नहीं है तो जाहिर तौर पर हम इसे (लक्ष्य) को हासिल नहीं करने जा रहे हैं। टीकाकरण की धीमी रफ्तार पर चिंता जताते हुए पीठ ने कहा कि उन कंपनियों को कारपोरेट सोशल रेस्पोंसिबलिटी (सीएसआर) के तहत छूट मिलनी चाहिए जो निशुल्क टीकाकरण कर रहे है। कोर्ट ने यह टिप्पणी तब की जब केंद्र सरकार की ओर से अधिवक्ता कृतिमान सिंह ने एक सवाल के जवाब में कहा कि कंपनी लीगल कमेटी ने कोरोना से संबंधित गतिविधियों के लिए सीएसआर फंड में छूट नहीं देने की सिफारिश की है। सिंह ने पीठ को बताया कि समिति ने सिर्फ कोरोना संक्रमण के दवा और टीकाकरण के लिए शोध करने वाले संस्थानों को ही इसके 3 साल तक की छूट दिया गया है। इस पर पीठ ने कहा कि निशुल्क टीकाकरण करने वाले संस्थानों को छूट क्यों नहीं दिया जा रहा है।

कोर्ट ने कहा कि जब कोई अस्पताल अपनी क्षमता से आगे जाकर लोगों को निशुल्क टीका दे रहा है तो उसे सीएसआर से छूट क्यों नहीं मिलना चाहिए। पीठ ने सरकार से कहा कि क्या आप चाहते हैं कि पैसे का प्रवाह सिर्फ आपके शोध संस्थानों में हो। कोर्ट ने कहा कि दवा कंपनियां, अस्पताल व अन्य कंपनियां जो भी निशुल्क टीकाकरण कर रही है, उन्हें भी सीएसआर में छूट मिलना चाहिए। पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि टाटा स्टील जैसी कंपनियां जमशेदपुर में लोगों को टीका लगाना चाहती है तो ऐसे में कंपनियों को छूट दिया जाना चाहिए।

LEGAL INFOSOLUTIONS PVT LTD.

❖LABOUR LAWS ❖HR MANAGEMENT
❖PAYROLL OUTSOURCING MANAGEMENT
❖SOCIAL AUDIT & COMPLIANCE'S)

http://www.legalipl.com

BE-243, G.F., Avantika, Ghaziabad- U.P.- 201002

The Ithum IT Park, Suite # 007, 3rd Floor, Tower C, Plot No. 40 A, Sector 62, Noida, 201301-U.P. India

9818036460

legalipl243@gmail.com

उद्योग विहार
निष्पक्ष गारिक रागाचार पत्र

Editorial

03 P.

E-mail : udyogviharnp@gmail.com

गाजियाबाद, अगस्त, 2021

सम्पादकीय

मनमर्जी पर लगाम

सत्येन्द्र सिंह

भारत जैसे सशक्त लोकतांत्रिक परंपरा वाले देश में यह एक विचित्र स्थिति है कि जो कानून अस्तित्व में नहीं है, उसके तहत यहां अलग अलग राज्यों की पुलिस किसी को गिरफ्तार करे और उसे नाहक ही प्रताड़ित करे। लेकिन ऐसा पिछले करीब पांच सालों से लगातार चलता रहा, जब सुप्रीम कोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा66 ए को रद्द कर दिया था और पुलिस इस कानून का इस्तेमाल करके लोगों को परेशान करती रही। इस मसले पर एक महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने काफी नाराजगी जताई थी। अब सोमवार को एक बार फिर शीर्ष अदालत ने एक गैरसरकारी संगठन की याचिका पर राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और सभी राज्यों के उच्च न्यायालयों को नोटिस जारी कर इस बात पर जवाब मांगा है कि 2015 में ही रद्द हो चुकी इस धारा के तहत अब भी लोगों को खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं। यह समूचे देश में कानून लागू करने वाले महकमे की कार्यशैली पर सवालिया निशान है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अहमियत देने, उसका मतलब समझने और उस पर अमल करने के बजाय उसे ताक पर रख कर मनमानी करने की वजह आखिर क्या रही! गौरतलब है कि देश भर में पुलिस की ओर से मामूली बातों पर भी लोगों को गिरफ्तार या प्रताड़ित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66ए के बेजा इस्तेमाल से जुड़ी शिकायतें जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची थी, तब 2015 में ही उसने इस धारा को ही रद्द कर दिया था। इसके बावजूद जमीनी स्तर पर देश के अलगअलग हिस्सों में कानून की इस धारा को हथियार बना कर इसके तहत गिरफ्तारी होती रही। पुलिस राज्य का विषय है और इस नाते राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों का यह दायित्व है कि वह लागू कानूनों की वैधता और कसौटी पर सही और न्यायिक होने का हर वक्त ध्यान रखे। सवाल है कि इतने साल पहले सुप्रीम कोर्ट में कानून की इस धारा के रद्द होने की सूचना सरकारों के पास कैसे और क्यों नहीं पहुंची! जबकि इस दौरान इस कानून के तहत कई लोगों को नाहक ही प्रताड़ना झेलनी पड़ी। एक रद्द कानून के हथियार से लोगों को परेशान करने का मुआवजा क्या होगा और इतने लंबे समय तक इस धारा के इस्तेमाल करने के लिए संबंधित महकमे कोई अफसोस जाहिर करेंगे! क्या पुलिस इस संदर्भ में जानकारी और व्यवहार को लेकर सवालों के कठघरे में नहीं खड़ी है? यह किसी से छिपा नहीं है कि कानून के मामूली नुक्तों की वजह से किसी व्यक्ति को अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा जेल में गुजारना पड़ सकता है। इसके व्यावहारिक पहलुओं और असर के मद्देनजर ही सुप्रीम कोर्ट ने एक महीने पहले साफ शब्दों में यह टिप्पणी की थी कि जो हो रहा है वह भयानक, चिंताजनक और चौंकाने वाला है। दरअसल, सूचना प्रौद्योगिकी कानून की निरस्त धारा 66ए के तहत सोशल मीडिया पर भड़काऊ टिप्पणियां करने के दोषी किसी व्यक्ति को तीन साल तक कैद और जुमार्ने की सजा का प्रावधान था। लेकिन व्यवहार में सरकारों और पुलिस ने इसका जिस तरह बेजा इस्तेमाल किया, अभिव्यक्ति की आजादी को बाधित किया गया, वह देश की लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए एक अफसोसनाक स्थिति थी। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 24 मार्च, 2015 को ही श्रेया सिंघल मामले में इस धारा को रद्द कर दिया था। यों भी विविधताओं से भरे हमारे देश में एक मसले पर अलगअलग क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की राय भिन्न हो सकती है। लेकिन उसकी मनमानी व्याख्या करके लोगों को परेशान, गिरफ्तार और प्रताड़ित करना लोकतंत्र को ही बाधित करने का जरिया बनेगा।

चीनी मांझे पर रोक लगना बेहद जरूरी है

कुछ खास अवसरों जैसे स्वतंत्रता दिवस, मकर संक्रांति, रक्षाबंधन आदि पर पतंगबाजी का शौक लोगों के सिर चढ़कर बोलता है। हमारे देश में पतंग उड़ाने की परंपरा रही है और यह परंपरा आज भी कायम है, किंतु लोगों का यह शौक तब जानलेवा बन जाता है, जब पतंग के शौकीन एक दूसरे की पतंग काटने के लिए चाइनीज मांझे का इस्तेमाल करते हैं। चाइनीज मांझा पतंग की वह डोर है जो इतनी खतरनाक होती है कि किसी भी इंसान का गला तक काट सकती है और उस व्यक्ति की दर्दनाक मौत तक हो जाती है। यह चाइनीज मांझा खंजर से भी ज्यादा तेज धार का होता है, यह पल भर में ही लोगों को अपना शिकार बना लेता है, इसीलिए अब इसे मौत की डोर कहा जाने लगा है। जगह जगह बिकने वाला मौत का यह मांझा जहां पतंगबाजों के लिए खुशी लेकर आता है, वहीं यह राहगीरों का दुश्मन है। ऐसा दुश्मन जो किसी राहगीर को दिखाई तक नहीं देता। खास अवसरों पर पतंगबाजी के लिए इसका खूब प्रयोग किया जाता है। पतंग उड़ाने वाले अक्सर मजबूत धागे वाले मांझे खरीदते हैं ताकि कोई उनकी पतंग को काट ना सके, आसमान में तो उनकी पतंग को कोई काट नहीं पाता लेकिन उनकी यह डोर लोगों के गले जरूर काट देती है। चाइनीज मांझा दिल्ली में 10 जनवरी 2017 से बैन है, किंतु कुछ लोगों का शौक और सिस्टम की लापरवाही की पतंग, जब कातिल मांझे के दम पर उड़ान भरती है तो खामियाजा किसी बेगुनाह को उठाना पड़ता है, इसी वजह से हर वर्ष चाइनीज मांझे के कारण कई लोगों को देश में जान गंवानी पड़ती है। केवल चाइनीज मांझा ही नहीं इसके अलावा और भी बहुत से खतरनाक मांझे बाजार में धड़ल्ले से बिक रहे हैं। चाइनीज मांझे के इस्तेमाल, बिक्री और स्टॉक पर प्रतिबंध है, इसके बावजूद इसकी बिक्री और खरीद बंद नहीं हो रही और इससे होने वाले हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। बैन होने के बावजूद राजधानी दिल्ली में भी चीनी मांझा धड़ल्ले से बिकता है। कई पतंगबाज लगातार इस प्रतिबंधित मांझे का इस्तेमाल कर लोगों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। इसकी चपेट में आकर पिछले सालों में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, हजारों की तादाद में पंछी हर साल जख्मी होते हैं। लॉकडाउन खुलने के बाद अब सड़कों पर चहलपहल बढ़ गई है, ऐसे में यह कातिल मांझा अगर यूं ही बिकता रहा तो पतंग उड़ाने वाले सीजन में यह कई जानलेवा हादसों को अंजाम दे सकता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने जुलाई 2017 में खतरनाक चीनी मांझे की बिक्री पर पूरे देश में बैन लगा दिया था। पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल (पीटा) की अर्जी पर यह आदेश किया गया था। मांझा बनाने वाली कंपनियां सुप्रीम कोर्ट भी गईं, लेकिन उन्हें वहां से राहत नहीं मिली। हौज काजी का लाल कुआं,जाफराबाद, सदर, लाहौरी गेट इलाका पतंग मांझा का बड़ा बाजार है, अब मांझा चीन से नहीं बल्कि तेज धार के साथ देश में ही बन रहा है। दिल्ली से सटे नोएडा में इसकी फैक्ट्रियां हैं, जहां यह धड़ल्ले से बन रहा है, इसकी दिल्ली के बाजारों में भी सप्लाई हो रही है। एक तरफ जहां इस मांझे से सड़क चलते लोगों के गाल और गले कट रहे हैं, वहीं ये चाइनीज दुश्मन लखनऊ मेट्रो को भी भारी नुकसान पहुंचा रहा है। लखनऊ में चाइनीज मांझे की बिक्री धड़ल्ले से जारी है। त्योहारों के दौरान पतंगबाजी बढ़ती है और चाइनीज मांझे की बिक्री भी। चाइनीज मांझे से लैस पतंग जब मेट्रो के ओएचई लाइन पर गिरती है तो पूरी लाइन ही ट्रिप कर जाती है, जिससे मेट्रो को घंटों खड़े रहना पड़ता है और मुसाफिर परेशान होते हैं। मेट्रो विकास की पहचान बन रहा है पर पतंग के शौकीनों का चाइनीज मांझे से लगाव समाप्त न हो पाने के

कारण, महज कुछ रुपए के मांझे ने हजारों करोड़ की मेट्रो को रोककर एक नया सरदर्द दे दिया है। साधारण मांझा धागे से बनता है और उस पर कांच की लेयर चढ़ाई जाती है, यह भी काफी खतरनाक होता है लेकिन ये आसानी से टूट जाता है, ऐसे में इसे कम खतरनाक माना जाता है, किंतु चाइनीज मांझे में प्लास्टिक, नायलॉन और लोहे का बुरादा मिला होता है। विभिन्न धातुओं के मिश्रण से तैयार होने से यह पतंग के पेंच लड़ाने में अधिक कारगर होता है इसीलिए अब इसका प्रयोग अधिक किया जाने लगा है। विभिन्न धातुओं के मिश्रण से बने होने के कारण यह बेहद धारदार और विद्युत सुचालक होता है, इसके उपयोग के दौरान दुपहिया वाहन चालकों और पक्षियों के जानमाल का नुकसान होता है। यह मांझा जब बिजली के तारों के संपर्क में आता है तो विद्युत सुचालक होने के कारण यह पतंगबाजी करने वालों के लिए भी जानलेवा साबित होता है और इससे बिजली की सप्लाई में भी बाधा पहुंचती है। कई बार दो तारों के बीच इस धागे के संपर्क से शॉर्ट सर्किट भी हो जाते हैं। इसलिए सरकार ने धातु वाले मांझे और चाइनीज मांझे की थोक और खुदरा बिक्री या इसके उपयोग पर प्रतिबंध का आदेश जारी कर दिया है। यह मांझा मजबूत होने के साथसाथ सस्ता भी होता है। चाइनीज मांझे पर दुकानदारों को मार्जिन भी ज्यादा है। एक रील सूती मांझे और चाइनीज मांझे में लगभग 500 से 700 रुपए का अंतर है। जब लोग पतंग उड़ाते हैं तो उनका लक्ष्य होता है कि उनकी पतंग कोई काट ना पाए और वो ज्यादा से ज्यादा दूसरों की पतंग काटें, ऐसे में वो इस मांझे को पसंद करते हैं और इससे पतंग उड़ाते हैं, क्योंकि दूसरे पतंग वालों के लिए इस मांझे को काटना थोड़ा मुश्किल होता है, यह आसानी से टूटता नहीं है और लंबे समय तक इससे पतंग उड़ाई जा सकती है।

कविता

कोरोना की मार

मृदुला घई
अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्यालय)
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार

मायूसी के, उदासी के
दर्द के, दहशत के
बादल घनघोर, चारों ओर
देख इंसान, निकले प्राण
हाय बीमारी, परेशानी भारी
मरघट सा, शहर था
शहर सा, मरघट था
मौत पंजा, कसा शिंकजा
लहर खूनी, सड़कें सूनी
बाजार विरान, खाली मैदान
सुनाए कहानी, तस्वीर पुरानी
बालक निगोड़े, खेले दौड़ें
तितली पकड़ें, गिलहरी जक्कड़ें
फिर छोड़ें, फूल तोड़ें
बूढ़े जवान, जागरूक इंसान
दोनो पहर, करें सैर
सुबह शाम, योगा व्यायाम
युगल जोड़े, शर्माए थोड़े
छुपीसी मुलाकातें, प्यारी बातें
फैला डर, बैठे घर
स्कूल इमारत, ढूँढें शरारत
गिनती पहाड़े, बच्चे सारे
कॉलेज फिजाएँ, तनहा भरमाए
दीवारें बोलें, राज खोलें
मनमौजी टोली, हँसी ठिठोली
नैन मट्टक्का, मजनू भटका
हाय मोहब्बत, प्यारी सोहबत
याद उसकी, चाय चुस्की
फलस्फे बड़े, खड़े खड़े
साथ पढें, विचारे लड़े
मीठा शोर, हाय चोर
शून्य दे, गया ले
रूठा रब, कैसा तांडव
कांटे छांटें, मौत बांटें
दाएं बाएं, अपने पराए
जान गवाएं, यूही जाएं
हर पल, कैसा कोहाहल
चीख पुकार, ये हाहाकार
डॉक्टर अस्पताल, बुरा हाल
घुटता दम, आक्सीजन कम
सिलिन्डर लाओ, इसे बचाओ
किवाड़ खोलो, अंदर लेलो
जल्दी करो, भर्ती करो
इलाज करो, रहम करो
कर्म करो, शर्म करो
किवाड़ बंद, क्षण चंद
टूटा दम, काम खत्म
नहीं एक, थे अनेक
मंजर ऐसे, प्रलय जैसे
अपने खोते, बहुत रोते
आत्मा मैली, दहशत फैली
जानलेवा बीमारी, कई व्यापारी
करें कालाबाजारी, मुसीबत भारी
राक्षस सरी, गायब करी
अस्पताल से, दुकान से
दवा जरूरी, आक्सीजन पूरी
भरे गोदाम, आदमी आम

खूब परेशान, दुकान दुकान
जमीन आसमान, खुदा गवाह
ढूंढें दवा, कीमत बनी
दस गुणी, सारे जेवर
बेच कर, गिरवी घर
बढ़ता डर, बाबा बचें
अम्मा बचें, पैसा लेलो
जीवन देदो, बेचा बेकार
घर द्वार, लुट गए
दोनों गए, काले चोर
मुनाफा खोर, जुल्म घोर
मजबूरी निचोड़, आत्मा मार
पैसे भरमार, हुए अमीर
बेच जमीर, दिल थामा
मोम जामा, ओढ़े लाशें
कंधे तलाशें, उड़ा होश
नकाब पोश, बड़े बदहवास
भारी साँस, सहारा तलाश
खीचें लाश, गाड़ी डाल
जैसे माल, जामा पहने
दोनों बहनें, धुंधला जहन
मन बेचैन, ऊँगली बुलाया
आगे बैठाया, बढ़ती छटपट
पहुंचें मरघट, फेंकीं लाशें
जगह तलाशें, चारों तरफ
लोग बर्फ, दिल थामें
पहने जामें, आँसू पसीना
टीसता सीना, घुटता साँस
ना पास, चाचा चाची
मामा मामी, करीबी जन
पड़ोसी पड़ोसन
रिश्ते बेमाने, कई बहाने
नहीं ध्यान, विधि विधान
अंतिम सम्मान, कोई दान
किधर जाएं, कहाँ जलाएं
जरा कहीं, जगह नहीं
कई सौ, दिखती लौ
लाशें प्रज्वलित, वर्ण दलित
अमीर गरीब, दुश्मन रकीब
देसी घी, तेल भी
बेहिसाब डाले, जल्दी मारे
अभी उठालो, फूल घरवालो
जगह वो, खाली हो
आगे बढ़ें, पंक्ति चढ़ें
मील दो, लाश दो
धीरे चलती, किसे जल्दी
पंक्ति अजीब, कैसा नसीब
मर कर, इंतजार पर
कब जलें, यमलोक चलें
कैसा अलबेला, लाश मेला
पंक्ति हिलती, करूँ बिनती
बाबा चलो, माँ चलो
मिलकर खीचें, दांत भीचें
बारी आई, आग लगाई
मंत्र नहीं, पूजा नहीं
किया खाक, दी राख
टूटे फूटे, गए लूटे

छूटा हाथ, हुए अनाथ
नहीं साथ, रोते जज्बात
बुरा हाल, सोलह साल
नाजुक उम्र, माहौल उग्र
खौफनाक आँधी, हिम्मत बाँधी
इक दंपति, बहुत संपत्ति
हमें अपनाया, अपना बनाया
प्यार करते, हमपे मरते
पढ़ाएं लिखाएं, खिलौने दिलाएं
गले लगाएं, हमे समझाएं
आँसू पौछो, अच्छा सोचो
छटे बादल, रौशन पल
उम्मीद जागे, उदासी भागे
सोए बिन, रात दिन
शोध करें, खोज करें
वैक्सीन बनाएं, जान बचाएं
कर्तव्य निभाएं, हौसला बढ़ाएं
हथेली पर, जान धर
घर से, निकल के
देखभाल करें, ईलाज करें
ईश्वर दरस, डॉक्टर नर्स
बीमारी डराती, हौंसला डगमगाती
फिर भी, कड़ा जी
हमारी रक्षा, सीमा सुरक्षा
करें जवान, कितने महान
मृत्यु साया, डर छाया
कानून व्यवस्था, दुर्गम रस्ता
नाका पहरा, श्रम गहरा
धूप कड़ी, लिए छड़ी
बाहें अपना, खून पसीना
बिन जीना, खाना पीना
बीमारी आई, जान गंवाई
पुलिस हमारी, जिम्मा भारी
कर तैयारी, काम जारी
देखो वो, करिश्मा जो
कई हाथ, देते साथ
खाना लाएं, अस्पताल पहुंचाएं
दावा दिलाएं, इलाज करवाएं
मौत से, छीन लें
आक्सीजन दें, इंजेक्शन दें
तम्बू लगाएं, अस्पताल बनाएं
कुछ इंसान, लाखो जान
बचाएं ऐसे, प्रभु जैसे
मानो ऐहसान, इतने भगवान
सुरक्षित प्राण
देश महान

TAKSHAK
MANAGEMENT INDIA PVT LTD

- EVENTS MANAGEMENT
- PR MANAGEMENT
- ARTISTS MANAGEMENT

http://www.takshakindia.com

BE-243, G.F., Avantika, Ghaziabad- U.P.-201002
The Ithum IT Park, Suite # 007, 3rd Floor, Tower C,
Plot No. 40 A, Sector 62, Noida, 201301-U.P. India
9818036460
takshakindia@gmail.com

उद्योग विहार

निष्पक्ष गारिक रागाचार पत्र

04 P.

E-mail : udyogviharnp@gmail.com

गाजियाबाद, अगस्त, 2021

नगर विकास मंत्री ने 94 करोड 43 लाख रूपए की लागत के विकास कार्यो का शिलान्यास

यूपी में चहुंमुखी विकास करना ही सरकार का उद्देश्य: आशुतोष

-उद्योग विहार (अगस्त 2021)-

गाजियाबाद। नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने लाहिया नगर स्थित हिंदी भवन परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान 94 करोड 43 लाख रूपए लागत के विकास से जुडे 71 कार्यों के शिलान्यास एवं लोकापर्ण किए। इस दौरान श्री टंडन ने कहा कि केंद की मोदी एवं प्रदेश की योगी सरकार विकास कार्यों पर जोर दे रही है। प्रदेश सरकार का एक मात्र न केवल चहुंमुखी विकास है बल्कि विकास के कामों का हर वर्ग को लाभ मिले। तमाम अधीनस्थ अधिकारियों को आदेश दिए गए है कि विकास के कामों को समय से पूरा कराया जाए। लोगों को स्वच्छ पेयजल तथा हर नगर निगम,पालिका क्षेत्र में सीवरेज व्यवस्था पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए एक बडी लागत से अमृत योजना के अंतर्गत कार्य कराए जा रहे है। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनके संज्ञान में लाया गया कि गाजियाबाद नगर निगम सीमा क्षेत्र में 1200 पार्क है। जिनमें से 500 पार्क अविकसित है। निगम अधिकारियों का आदेशित किया गया है कि सभी पार्कों को विकसित किया जाए,ताकि क्षेत्र के लोगों को उनके आस-पास स्वच्छ एवं हरा भरा वातावरण उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि उनके संज्ञान में लाया गया कि कोविड काल के दौरान निगम अधिकारियां के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इस दौरान श्री टंडन ने कहा कि निकाय कर्मचारियों की समस्याओं के निस्तारण के आदेश दिए गए है। अधिकारियों को हिदायत दी गई है कि समय समय पर अधीनस्थ स्टाफ के साथ बैठक करते हुए उनकी समस्याओं का प्राथमिकता के साथ निस्तारण किया जाए।

इस दौरान स्वास्थ्य राज्यमंत्री अतुल गर्ग,महापौर आशा शर्मा,नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंबर आदि मौजूद रहे। हिंदी भवन में कार्यक्रम से पूर्व उत्तर प्रदेश जल निगम के गेस्ट हाउस में निगम अधिकारियां के साथ बैठक करते हुए शहर भर में निगम के द्वारा किए जा रहे कामों की जानकारी ली।

नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार का उठा मुद्दा

गाजियाबाद। निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं निगम अधिकारियों के तानाशाह पूर्ण रवैये के मुददे को कांग्रेसी पार्षदों ने प्रताप विहार स्थित जल निगम के गेस्ट हाउस में नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन के सामने उठाया। पार्षदों ने जबरदस्त तरीके से निगम अधिकारियों की कार्य प्रणाली एवं जिन अधिकारियों के शासन के द्वारा तबादले किए जा चुके है,उन्हें रिलीव न किए जाने के मुददे को भी उठाया। पार्षदो का कहना था कि जहां मोदी और योगी सरकार का प्रयास ये है कि सरकार की योजनाओं का लाभ आमजन को मिले,लेकिन निगम अधिकारी मनमानी पर अमादा है। पार्षद मनोज चैधरी एवं जाकिर सैफी ने कहा कि नगर निगम सदन एवं निगम कार्यकारिणी का दूर तक भी कोई औचित्य नहीं रह गया है,अधिकारी खुद से फैसले ले रहे है। होर्डिंग का ठेका 15 साल के लिए फर्म विशेष को दिए जाने का मुदा भी जोरशोर से उठाया गया। अधिकारी पार्षदों के टेलीफोन रिसीव नहीं करते है। आमजन की किसी तरह की सुनवायी नहीं हो रही है। विकास के नाम पर शहर की जनता को गुमराह किया जा रहा है। इस दौरान स्वास्थ्य राज्यमंत्री अतुल गर्ग एवं महापौर आशा शर्मा भी मौजूद थे।

जागरूकता शिविर व महिला उत्पीड़न/सुरक्षा संबंधी प्रकरणों पर जनसुनवाई

महिलाओं का स्वावलंबन और सुरक्षा प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी: विमला बाथम

-उद्योग विहार (अगस्त 2021)-

गाजियाबाद। यूपी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष विमला बाथम ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जागरूकता शिविर व महिला उत्पीड़न/सुरक्षा सम्बन्धी प्रकरणों पर जनसुनवाई की।

विमला बाथम ने कहा कि महिलाओं का स्वावलंबन और सुरक्षा प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। उन्हें घर के नजदीक ही स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के प्रयास जारी हैं। महिलाएं स्वयं को कम न समझें। उनकी समस्याओं का निवारण किया जाएगा। कलेक्ट्रेट के महात्मा गांधी सभागार में अपरान्ह 12 बजे उ.प्र. राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष विमला बाथम पहुँची। उनका डीएम राकेश कुमार सिंह,सीडीओं अस्मिता लाल दोनो अधिकारियो ने उन्हें पौधे व जूट का बैग नये समाज की ओर संदेश से उल्लेखित भेंट किया।

साथ ही बेटी बचाओं संदेश को लेकर बनायी गयी कलाकृतिया उन्हे सौंपी गयी। कोरोना काल के दौर में अनाथ हुये बच्चो को भी उन्होने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत चैक वितरित किया ओर महिलाओं के कल्याण हेतु संचालित योजना के तहत साढे पांच लाख का चैक सौंपा। गजियाबाद की सीडीओं अस्मिता लाल की पहल घर के बाहर बेटी का नाम घर की शान स्लोगन की नाम पेटिका लगाने को लेकर एडीएम प्रशासन ऋतु सुहास व एसडीएम सदर डीपी सिंह को सम्मानित किया। अध्यक्ष विमला बाथम की ओर से मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, महिलाओं के कल्याण हेतु संचालित योजनाओं के सम्बन्ध में जागरूकता शिविर व महिला उत्पीड़न/सुरक्षा सम्बन्धी प्रकरणों पर समीक्षा बैठक कर महिलाओ की जनसुनवाई की।

साथ ही प्रशासन और पुलिस से महिला सुरक्षा के संबंध में उठाए गए कदमों की जानकारी भी ली। इस दौरान महिला कल्याण के लिए चलाई जा रही सरकार की योजनाओं के बारे में भी उन्होंने समीक्षा की। उन्होंने अफसरों को महिला कल्याण की योजनाओं को लागू करने के लिए कड़े निर्देश दिए। इस मौके पर डीएम राकेश कुमार सिंह, सीडीओ अस्मिता लाल, पुलिस अधीक्षक निपुण अग्रवाल, जिला प्रोबेशन अधिकारी विकास चंद्र सहित दर्जनो अधिकारी मौजूद रहे।

जीडीए सचिव के तबादले से अभियंताओं में खलबली

-उद्योग विहार (अगस्त 2021)-

गाजियाबाद। जो अभियंता एवं दूसरा स्टाफ जीडीए के सचिव संतोष कुमार राय के आस-पास तडके से परिक्रमा किया करते थे, लेकिन देररात को जैसे ही उन्हें पता लगा कि संतोष कुमार राय को इटावा का सीडीओ बना दिया गया है और उनके स्थान पर बृजेश कुमार की तैनाती शासन के द्वारा कर दी है। सूचना के बाद ज्यादातर अभियंता और दूसरे स्टाफ ने एकाएक पाला बदल दिया। अब अधिकांश अभियंता ये जानने में जुट गए है कि जिन नए अधिकारी को जीडीए सचिव पद पर तैनात किया गया है, उनकी किस तरह की कार्य शैली है। यहां बता दे कि शासन के द्वारा देरशाम को दो आईएएस समेत 18 पीसीएस अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए। जिन धिकारियों के तबादला आदेश जारी किए गए,उनमें जीडीए सचिव संतोष कुमार राय का नाम भी प्रमुखता से शामिल है। श्री राय को इटावा का मुख्य विकास अधिकारी बनाया गया है। उनक स्थान पर बृजेश कुमार की तैनाती की गई है। देररात जैसे की कुछ स्टाफ को ये पता लगा कि जीडीए सचिव संतोष कुमार राय का शासन के द्वारा तबादला कर दिया है,सूचना के बाद एक दूसरे के फोन घनघनाते रहे।

विज्ञापन कंपनियों के सिंडीकेट को निगम ने किया ध्वस्त

-उद्योग विहार (अगस्त 2021)-

गाजियाबाद। शहर को अवैध होर्डिंग्स से मुक्त कराने और विज्ञापन कंपनियों के सिंडीकेट को ध्वस्त करने को लेकर नगरायुक्त महेंद्र सिंह तंवर की रणनीति सफल होती दिखाई दे रही है। नगरायुक्त के प्रयास का ही परिणाम है कि जिन कंपनियों ने अभी तक दादागीरी दिखाकर शहर को अवैध होर्डिंग्स से पाट रखा था वह अब बगले झांकने को मजबूर हो रही हैं। नगरायुक्त की इस कार्रवाई से जहां नगर निगम को करोड़ों रुपये का फायदा होगा, वहीं अब कोई भी विज्ञापन कंपनी शहर में मनमाने ढंग से होर्डिंग्स नहीं लगा पाएंगी। नगर निगम के पक्ष में फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विज्ञापन कंपनियों को मिले पुराने सभी स्टे पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद नगर निगम द्वारा विज्ञापन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने का रास्ता साफ हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से विज्ञापन कंपनी मैसर्स गेट मोर फर्म को जोर का झटका लगा है। हाईकोर्ट ने सिविल न्यायालय द्वारा फर्म के पक्ष में पारित आदेश को स्थगित कर दिया है। इससे नगर निगम को बड़ी राहत मिली है। फर्म पर 1 करोड़ 82 लाख की विज्ञापन शुल्क की धनराशि बकाया है। यह धनराशि नगर निगम को मिलने की उम्मीद जाग गई है। बकाया राशि का भुगतान करने से बचने के लिए संबंधित फर्म ने नगर निगम को काफी समय से कानूनी झमेले में उलझा रखा था। इस कारण विभाग को राजस्व नहीं मिल पा रहा था। नगर निगम सीमांतर्गत विभिन्न तिराहों एवं चौराहों पर दिशा सूचक पटों की स्थापना के कार्य के लिए नगरायुक्त द्वारा प्रदान की गई स्वीकृति विगत 1 दिसम्बर 2015 के अनुपालन में निविदा आमंत्रण सूचना विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित कराई गई थी। उक्त कार्य के सापेक्ष मैसर्स गैट मोर द्वारा एकमुश्त दी जाने वाली ऑफर धनराशि 2,00,000 एवं विज्ञापन शुल्क 2200 रुपए प्रति. वर्ग मी. प्रतिवर्ष की निविदा प्राप्त हुई, जो उच्चतम होने के फलस्वरूप तत्कालीन नगरायुक्त द्वारा 30 दिसम्बर 2016 को स्वीकार कर 2 जनवरी 2016 को मैसर्स गैट मोर फर्म द्वारा उक्त कार्य का अनुबंध निष्पादित किया गया। बाद में मैसर्स गैट मोर फर्म ने मनमानी शुरू कर दी। अनुबंध की शर्तों का अनुपालन न करने तथा विज्ञापन शुल्क नगर निगम कोष में जमा न करने पर फर्म को 21 जून 2016 से 10 बार नोटिस जारी कर निरंतर विज्ञापन शुल्क जमा कराने की मांग की गई। लेकिन हर बार विज्ञापन कंपनी ने किसी ना किसी तरह से मामले को कोर्ट में उलझाये रखा। ऐसे में नगर निगम कार्रवाई नहीं कर पा रहा था। इसी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश आया है, जिसमें विज्ञापन कंपनी को पूर्व निचली अदालत से मिले स्टे को स्टे किया गया है। नगर निगम कोष में 2 करोड़ 74 लाख रुपए की धनराशि जमा न करनी पड़े, इसलिए मैसर्स गैट मोर फर्म द्वारा वर्ष-2019 में वाद सं. 930/2019 योजित किया गया, उस समय फर्म को कोर्ट से स्टे नहीं मिल पाया था। ऐसे में फर्म ने 2करोड़ ,74,लाख रुपए निगम कोष में जमा करा दिए थे तथा अपने सिविल सूट को वापस ले लिया था। इसके बाद विज्ञापन फर्म को वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु 1 करोड़ 18 लाख रुपए नगर निगम कोष मे जमा कराने के संबंध में 23 जून 2020 को नोटिस जारी किया गया। जिसके खिलाफ विज्ञापन कंपनी ने कोर्ट से स्टे हासिल कर लिया। विज्ञापन फर्म द्वारा सिविल व सत्र न्यायालय के समक्ष इस मंशा से कि स्टे आदेश के लिए केस फाइल किया गया कि जब तक आदेश ना आए उसका टेंडर चलता रहे तथा विज्ञापन शुल्क जमा न कराना पड़े। वाद संख्या-328/2020 दिव्या सांगवान बनाम नगर निगम गाजियाबाद योजित किया गया। इस मामले में न्यायालय अपर जिला जज/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट सं. 02 गाजियाबाद ने 27 जुलाई 2020 को एक आदेश जारी किया। आदेश में कोर्ट ने कहा कि वादनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 6ग2 के अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 तथा 151 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। इस दौरान वाद एवं अग्रिम आदेश तक प्रतिवादी को वादनी फर्म से प्रश्नगत धनराशि की वसूली करने, अनुबंध 2 जनवरी 2016 को निरस्त करने तथा गेट एंट्री, केंटीलिवर को तोड ? व नष्ट करने से निषेधित किया जाता है। फर्म का अनुबंध विगत 1 जनवरी 2021 को पूर्ण हो गया तथा फर्म पर बकाया 1करोड़ 18लाख रुपए था, जो फर्म द्वारा निगम कोष में जमा नहीं कराया गया। 2 जनवरी 2021 से 30 जून 2021 तक फर्म पर 63,38,290 रुपए विज्ञापन शुल्क बना। इस प्रकार फर्म पर स्थगन अवधि में किए गए प्रचार-प्रसार के कार्य के सापेक्ष 30 जून 2021 तक कुल बकाया शुल्क 1करोड़ 82लाख रुपए है। नगर निगम द्वारा वाद संख्या-328/2020 के विरूद्ध उच्च न्यायालय के समक्ष एफएएफओ अपील संख्या-4195/2020 गाजियाबाद नगर निगम बनाम दिव्या सांगवान दायर की गई, जिसमें सिविल न्यायालय द्वारा फर्म के पक्ष में पारित आदेश 27 जुलाई 2020 को उच्च न्यायालय ने अपने आदेश 30 जुलाई 2021 द्वारा स्थगित कर दिया है। मैसर्स गैट मोर फर्म से 1,करोड़ 82लाख की बकाया विज्ञापन शुल्क की धनराशि नगर निगम कोष में जमा कराई जानी है।

मै. लीगल इन्फोशोल्यूशन्स प्रा0लि0, मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक **"सत्येन्द्र सिंह"** द्वारा मै. बी.एफ.एल. इन्फोटैक लि. प्रेस, सी-9, सैक्टर-3, नोएडा से छपवाकर बी.ई.-243, (ग्राउण्ड फ्लोर) अवन्तिका, गाजियाबाद से प्रकाशित किया।

फोन : +91 120-6405819/20 **मोबाइल नं. :** 9818036460/9818697406 **E-mail :** udyogviharnp@yahoo.com **संस्थापक :** शीतला प्रसाद सिंह **प्रधान सम्पादक :** सत्येन्द्र सिंह **सम्पादक :** बबिता सिंह **सह सम्पादक :** राजेश सिंह